उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-1

संख्या-11/2021/13(3)/2021/का-1-2021

लखनऊ:: दिनांक 16 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना संख्या-11/2021/13(3)/2021/का-1-2021, दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 के द्वारा "उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021" (अंग्रेजी रूपांतर सहित) की संलग्न प्रतिलिपि निम्निलखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
6. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ।
7. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ ।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।
10. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश ।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
12. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
शीतला प्रसाद
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-1

सख्या-11/2021/13/3/2021-का-1-2021

लखनऊ :: दिनांक 16 दिसम्बर, 2021

<u>अधिसूचना</u>

प्रकीर्ण

संविधान का अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, "उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979" में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

"उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021"

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1)	यह नियमावली उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदो पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी।
		(2)	यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 4 का संशोधन	2.		उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदो पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली 1979 में नियम-4 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
4-(1) किसी व्यक्ति को - (एक) जो सेवा में **30 जून, 1998** को या उसके पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त किया गया हो, और उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदो पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण **(तृतीय संशोधन) नियमावली, 2001** के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में निरन्तर सेवारत हो,	4-(1) किसी व्यक्ति को - (एक) जो सेवा में **31 दिसम्बर, 2001** को या उसके पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त किया गया हो, और उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदो पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण **(चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021** के प्रारम्भ होने के दिनांक को उस रूप में निरन्तर सेवारत हो;

http://shasanadesh.up.gov.in

(दो) जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित नियुक्तियों के लिए विहित अपेक्षित अर्हताएं रखता हो; और (तीन) जिसने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, या यथास्थिति, पूरी करने के पश्चात् किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में, जो उपलब्ध हो, नियमित नियुक्ति के लिए, ऐसी रिक्ति में, संगत नियमों या आदेशों के अनुसार कोई नियमित नियुक्ति करने के पूर्व उसके अभिलेख और उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा।	(दो) जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित नियुक्तियों के लिए विहित अपेक्षित अर्हताएं रखता हो; और (तीन) जिसने यथास्थिति तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, या पूरी करने के पश्चात् किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति, जो उपलब्ध हो, में नियमित नियुक्ति के लिए, ऐसी रिक्ति में, संगत नियमों या आदेशों के अनुसार कोई नियमित नियुक्ति किये जाने के पूर्व उसके अभिलेख और उपयुक्तता के आधार पर उस पर विचार किया जायेगा।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी

अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/III/2021-ka-1-2021, dated December 16, 2021:

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
PERSONNEL SECTION-1
NOTIFICATION

Miscellaneous

13/III/2021-ka-1-2021
Dated Lucknow, December 16, 2021

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Regularisation of Ad-hoc Appointments (On posts out side the Purview of the Public Service Commission) Rules, 1979 :

The Uttar Pradesh Regularisation of Adhoc Appointments (On posts out side the Purview of the Public Service Commission) (Fourth Amendment) Rules, 2021

Short title and commencement	**1.**	(1)	These rules may be called the Uttar Pradesh Regularisation of Ad-hoc Appointments (On posts out side the Purview of the Public Service Commission)(Fourth Amendment) Rules, 2021
		(2)	They shall come into force at once.
Amendment of rule 4	**2.**		In the Uttar Pradesh Regularisation of Ad-hoc Appointments (On posts out side the Purview of the Public Service Commission) Rules, 1979, in rule 4 for existing sub-rule(1) set out in column 1 below, the sub rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1	**Column-2**
Existing sub-rule	**Sub-rule as hereby substituted**
(1) Any person who- (i) was directly appointed on ad-hoc basis on or before **June 30, 1998** and is continuing in service as such on the date of commencement of the Uttar Pradesh Regularisation of Adhoc appointments (On posts out side the Purview of the Public Service Commission) **(Third Amendment)**	(1) Any person who- (i) was directly appointed on ad-hoc basis on or before **December 31, 2001** and is continuing in service as such on the date of commencement of the Uttar Pradesh Regularisation of Ad-hoc Appointments (On posts out side the Purview of the Public Service Commission) **(Fourth Amendment)**

http://shasanadesh.up.gov.in

Rules, 2001, (ii) Possessed requisite qualifications prescribed for regular appointments the time of such ad-hoc appointment; and (iii) has completed or, as the case may be, after he has completed three years service shall be considered for regular appointment in permanent or temporary vacancy, as may be available, on the basis of his record and suitability before any regular appointment is made in such vacancy in accordance with relevant rules or orders.	**Rules, 2021,** (ii) Possessed requisite qualifications prescribed for regular appointments at the time of such ad-hoc appointment; and (iii) has completed or, as the case may be, after he has completed three years service shall be considered for regular appointment in permanent or temporary vacancy, as may be available, on the basis of his record and suitability before any regular appointment is made in such vacancy in accordance with relevant rules or orders.

By order,
Dr. Devesh Chaturvedi
Additional Chief Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।